

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02082024-255998
SG-DL-E-02082024-255998असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2024/ श्रावण 9, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 133
No. 202]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2024/ SHRAVANA 9, 1946	[N. C. T. D. No. 133

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (गृह रक्षक) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 31 जुलाई, 2024

फा.सं.1/03/2022/गृ.रक्ष./1695-1707 -राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक यथाविस्तारित बोम्बे गृह रक्षक अधिनियम, 1947 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली गृह रक्षक (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाए।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- नियम 8 में संशोधन :- दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 के नियम 8 में चौदहवें परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“यह भी उपबंधित है कि 31 जुलाई, 2024 को सेवारत गृह रक्षक स्वयंसेवकों (जो 31 जुलाई, 2024 से 31 जनवरी, 2025 की अवधि के दौरान कार्यमुक्त किए जाने हैं) का कार्यकाल 31 जनवरी, 2025 अथवा नए नामांकन होने तक, जो भी इनमें से पहले हो, तक विस्तारित किया जाएगा, बभाते यह उनके संतोशजनक सेवा रिकॉर्ड, कार्य अवधि के दौरान गृह रक्षक के रूप में सामान्य आचरण और साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य तथा आयु-सीमा नियमों में यथानिर्धारित के अधीन होगा”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव कुमार त्यागी, उप-सचिव (गृह)

टीप : मूल नियम दिनांक 20 जुलाई, 1959, फा. सं. 4/59-सी.डी., दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग- IV में प्रकाशित हुए थे तथा मूल नियम के नियम 8 में निम्न अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किए गए :

1. अधिसूचना संख्या फाइल 1/16/07/होम गार्ड/8301-8349, दिनांक 1 जुलाई, 2008
2. अधिसूचना संख्या फाइल 1/16/07/होम गार्ड/5409, दिनांक 24 दिसंबर, 2013
3. अधिसूचना संख्या फाइल 1/24/2014/होम गार्ड/1297-1306, दिनांक 4 मार्च, 2014
4. अधिसूचना संख्या फाइल 1/24/2014/होम गार्ड/1385-1394, दिनांक 30 मार्च, 2015
5. अधिसूचना संख्या फाइल 1/100/2015/होम गार्ड/757, दिनांक 15 फरवरी, 2016
6. अधिसूचना संख्या फाइल 1/41/2017/होम गार्ड/6607-6618, दिनांक 29 नवंबर, 2017
7. अधिसूचना संख्या फाइल 1/02/2019/होम गार्ड/1016-1028, दिनांक 27 फरवरी, 2019
8. अधिसूचना संख्या फाइल 1/28/2019/होम गार्ड/5840-5852, दिनांक 3 अक्टूबर, 2019
9. अधिसूचना संख्या फाइल 1/02/2019/होम गार्ड/1413-1425, दिनांक 27 मार्च, 2020
10. अधिसूचना संख्या फाइल 1/02/2019/होम गार्ड/977-989, दिनांक 7 अप्रैल, 2021
11. अधिसूचना संख्या फाइल 1/28/2019/होम गार्ड/1230-1242, दिनांक 23 जून, 2021
12. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/799-811, दिनांक 25 मार्च, 2022
13. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/873-885, दिनांक 29 मार्च, 2023
14. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/2904-16, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023
15. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/809-21, दिनांक 28 मार्च, 2024

HOME (HOME GUARD) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 31st July, 2024

No. F. 1/03/2022/HG/1695-1707- In exercise of powers conferred by section 8 of the Bombay Home Guards Act, 1947, as extended to National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Home Guards Rules, 1959, namely:-

- 1. Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Delhi Home Guards (Second Amendment), Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Amendment of rule 8. –** In the Delhi Home Guards Rules, 1959, in Rule 8, after the fourteenth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the tenure of existing Home Guard Volunteers on roll as on 31st July, 2024 (and due for discharge between the period 31st July, 2024 to 31st January, 2025) may be extended upto 31st January, 2025 or till the time fresh enrolment takes place, whichever is earlier subject to satisfactory service records, general conduct as Home Guards during the tenure and also subject to physical fitness and age limit as prescribed in the Rules”.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (Home)

(Note: The principal rule were published in Part-IV in the Delhi Gazette Extraordinary dated the 20th July, 1959, F.No. 4/59-C.D. and amendments were made in Rule 8 of the Principal rule vide following Notifications:

1. Notification No.F.1/16/07/HG/8301-8349, dated 01/07/2008.
2. Notification No.F.1/16/07/HG/5409, dated 24/12/2013.
3. Notification No.F.1/24/2014/HG/1297-1306, dated 04.03.2014.
4. Notification No.F.1/24/2014/HG/1385-1394, dated 30.03.2015.
5. Notification No.F.1/100/2015/HG/757, dated 15.02.2016.
6. Notification No.F.1/41/2017/HG/6607-6618, dated 29.11.2017.
7. Notification No.F.1/02/2019/HG/1016-1028, dated 27.02.2019.
8. Notification No.F.1/28/2019/HG/5840-5852, dated 03.10.2019.
9. Notification No.F.1/02/2019/HG/1413-1425, dated 27.03.2020.
10. Notification No.F.1/02/2019/HG/977-989, dated 07.04.2021.
11. Notification No.F.1/28/2019/HG/1230-1242, dated 23.06.2021.
12. Notification No.F.1/03/2022/HG/799-811, dated 25.03.2022.
13. Notification No.F.1/03/2022/HG/873-885, dated 29.03.2023.
14. Notification No.F.1/03/2022/HG/2904-16, dated 09.10.2023.
15. Notification No.F.1/03/2022/HG/809-21, dated 28.03.2024